न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–1, भदोही।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–239 सन् 2026

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.010007532026

शकील उर्फ बच्ची उम्र 32 वर्ष पुत्र मूसा, निवासी ग्राम सरायजगदीश, थाना–गोपीगंज, जनपद–भदोही। ....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य। ....अभियोजन पक्ष।

सत्र परीक्षण संख्या–107 सन् 2024
अपराध संख्या–341 सन् 2016
धारा–41, 411, 413, 414, 420
भारतीय दण्ड संहिता।
थाना– गोपीगंज, जनपद–भदोही।

आदेश

1. आवेदक/अभियुक्त शकील उर्फ बच्ची की ओर से प्रार्थनापत्र सत्र परीक्षण संख्या–107 सन् 2024, राज्य बनाम अक्कू उर्फ अबरार आदि, मुकदमा अपराध संख्या–341 सन् 2016, धारा–41, 411, 413, 414, 420, भारतीय दण्ड संहिता, थाना– गोपीगंज, जनपद–भदोही के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

3. आवेदक/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया है कि वह पूर्व में जमानत पर था और अन्य मुकदमा अपराध संख्या–286 सन् 2020 सत्र परीक्षण संख्या–370 सन् 2021 के प्रकरण में जेल में होने के कारण न्यायालय के समक्ष उक्त मुकदमे में नहीं आ सका और न्यायालय द्वारा उसकी अनुपस्थिति में दिनांक 30.09.2024 को गैर जमानतीय वारण्ट का आदेश पारित किया गया। आवेदक की उक्त मुकदमे में तलबी के आधार पर उपस्थिति स्वीकार की गयी है। आवेदक उक्त मुकदमे में वारण्ट पर जिला कारागार ज्ञानपुर में निरुद्ध है। अतः उसे पुनः जमानत मुचलिका पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया है।

4. प्रस्तुत प्रकरण में सत्र परीक्षण संख्या–107 सन् 2024, राज्य बनाम अक्कू उर्फ अबरार आदि की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि

आवेदक/अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण दिनांक 30.09.2024 को उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारण्ट का आदेश पारित किया गया है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र के प्रस्तर 2 में यह कहा है कि "अन्य मुकदमा अपराध संख्या–286 सन् 2020 सत्र परीक्षण संख्या–370 सन् 2021 के प्रकरण में जेल में होने के कारण न्यायालय के समक्ष उक्त मुकदमे में उपस्थित नहीं आ सका था।"

5. अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक/अभियुक्त शकील उर्फ बच्ची को को जमानत पर रिहा किए जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त शकील उर्फ बच्चीकी ओर से मु० 20,000/–रुपये का व्यक्तिगत एवं समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे सत्र परीक्षण संख्या–107 सन् 2024, राज्य बनाम अक्कू उर्फ अबरार आदि, मुकदमा अपराध संख्या–341 सन् 2016, धारा–41, 411, 413, 414, 420, भारतीय दण्ड संहिता, थाना–गोपीगंज, जनपद–भदोही के प्रकरण में जमानत पर रिहा किया जाय।

चूँकि अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। अतः जमानत आदेश की एक प्रति अधीक्षक जिला कारागार ज्ञानपुर को जरिये ई–मेल भेजी जाय।

दिनांक 11.03.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष संख्या–1, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.04.16 10:07:25 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court